कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज क्षेत्र
उत्तर प्रदेश वन निगम
संगम प्लेस, चतुर्थ तल सिविल लाइन्स, **प्रयागराज– 211001**

दूरभाष 0532–2427536
मेल–rmall@upfc.in

पत्रांक 2778 /तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री /दिनांक 19/3/2024
ई–मेल

सेवा में,

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक / विक्रय अधिकारी
उत्तर प्रदेश वन निगम,
दुद्धी / झाँसी / वाराणसी।

विषय– वर्ष 2024 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु प्रस्तावित षष्ठम् ई–निविदा **दिनांक–20 / 21 / 22.03.2024,** की बिक्री सूची एवं शर्तो का प्रेषण।

संदर्भ– इस कार्यालय का पत्रांक– 2759 / ते0प0 अग्रिम बिक्री, दिनांक– 15.03.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि **दिनांक–20 / 21 / 22.03.2024,** को आमंत्रित **वर्ष 2024 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री** हेतु आन–लाईन षष्ठम ई–निविदा की बिक्री सूची एवं बिक्री शर्ते एक प्रति में एतद्सह संलग्नकर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री सूची ई–निविदा सूचना एवं बिक्री शर्तो को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) उत्तर प्रदेश वन निगम को भेजा जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्राक– 2778 / तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता / पूर्वी), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ / प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक (लखनऊ क्षेत्र), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)
6. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, मीरजापुर, प्रयागराज एवं कर्वी।
7. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) अनुभाग, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि हरे तेन्दू पत्ता के ई–निविदा हेतु बिक्रय सूची, शर्तों को आनलाइन अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक / पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

क्रम सं०	लाट सं0/ वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा0बो0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	R-A-01/24	सोनभद्र	रेनुकूट	अनपरा	औड़ी	मुड़ी सेमर	300
						मिर्चाधुरी	200
							500
2	R-A-15/24				सरडीहा	बैरघट	600
						सायल	600
							1200
3	R-A-18/24				सागोबॉध	फुरीपान	200
						कोगा	200
						सागोबांध	100
							500
4	R-A-28/24	सोनभद्र	रेनुकूट	बभनी	चकबदरी	चैनपुर	300
						मुनगाडीह	400
						तिरकटवा	300
							1000
5	R-A-29/24				मचबन्धवा	बगलतवा	300
						चकसानी	300
						मचबन्धवा	300
						सरईदहा	300
						धनवार	300
						झनकपुर	400
						सागसोती	300
						तेन्दूअल	300
							2500
6	R-A-34/24				बैना	सरपोकाड्ंडी	400
						बहेराडोल	400
						बैना	300
							1100
7	R-A-36/24				भीसुर	भीसुर	500

						रन्दहटोला	500
							1000
8	R-A-37/24	सोनभद्र	रेनुकूट	जरहा	मजीठ	महुआ दोहर–1	300
						महुआ दोहर–2	300
						मझौली	300
						नवाटोला	300
						शीशटोला	300
							1500
9	R-A-38/24				महुली–अ	जलजलिया–1	500
						जलजलिया–2	300
						औराडांड़	300
						मैनहवा	300
						धौरहवा	300
							1700
10	R-A-39/24				महुली–ब	विछियारी–1	1500
						विछियारी–2	1500
						विछियारी–3	1500
							4500
11	R-A-41/24				जरहा पूर्वी ब	महुली	600
						लीलादेव	600
							1200
12	R-A-44/24				डोडहर	धौरहवा	400
						डोड़हर	400
						नकटू	400
							1200
13	R-A-45/24				नेमना	नेमना	500
						कूदर–1	500
						कूदर–2	500
						नवाटोला	600
						समथहवा	500
							2600
14	R-A-64/24				जाताजुआं	बोम	300
						जाताजुआ	300
						महुली	300

						परासपानी	300
						सुहेलदोहर	300
							1500
15	**R-A-66/24**	**सोनभद्र**	**रेनुकूट**	**बघाडू**	**रन्नू**	बीचटोला	500
						तेन्दूडांड़	700
							1200
16	**R-A-69/24**				**नीमियाडीह**	नौडीहा—1	200
						नौडीहा—2	300
						मधुबन	200
						करचा	300
						खैरटिया—1	300
						खैरटिया—2	400
						क्षत्रीटोला	300
							2000
कुल योग					**16 इकाई**	**फड़**	**25200**

मिर्जापुर लौगिंग प्रभाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2024

क0सं0	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेन्ज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा0बो0)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**M-A-2/2024**			चकिया	**02- मूसाखाड**	मूसाखाड	250
						विजमरवा	250
						बगदर/खुटा	200
						योग-	**700**
2	**M-A-4/2024**			चन्द्रप्रभा	**04- शिकारगंज**	नेवाजगंज	200
						शिकारगंज	250
						पुरानाठीह	200
						बोदलपुर	200
						चिलरहा	200
						योग-	**1050**
					सेक्सन का योग 02	कुलयोग—	**1750**
3	**M-A-12/2024**	चन्दौली	काशी वन्य	मझगाई	**01-हरदहवा**	मझगाई	100

			जीव			मझगावा	100
						बसौली	100
						जरहर	100
						योग-	**400**
4	M-A-14/2024			जयमोहनी	**03- धौठवा**	नरकटी	150
						नौडिहवा	150
						खुटहर	150
						धौठवा	150
						योग-	**600**
5	M-A-15/2024			मझगाई	**04- साडसोत**	केसार	100
						महदेवा	100
						योग-	**200**
6	M-A-17/2024			मझगाई	**06- चिकनी**	चिकनी	150
						पढौती	100
						योग-	**250**
7	M-A-24/2024			रामगढ	02—सुअरसोत	देवरी	150
						सुअरसोत	150
						तेनूडाही	150
						वाराडाड	100
						कजियारी	150
						उजारी	100
						धोबी—1	200
						धोबी—2	150
						तेनुआ	100
						योग-	**1250**
					सेक्सन का योग 05	**कुलयोग—**	**2700**
8	M-A-29/2024	मिर्जापुर	कैमूर वन्य जीव	घोरावल	01—पुरना	गुरहवा	200
						नौगढवा	200
						योग-	**400**
					सेक्सन का योग 01	**कुलयोग—**	**400**
9	M-A-31/2024	मिर्जापुर	कैमूर वन्य	हलिया	01—पडरी	तिलरी—1	100

			जीव			मझिगवा–1	150
						मझिगवा–2	150
						मझिगवा–3	150
						मझिगवा–4	150
						योग-	**700**
					सेक्सन का योग 01	**कुलयोग–**	**700**
10	**M-A-33/2024**	**मिर्जापुर**	**मिर्जापुर**	**चुनार**	**01–सुकृत**	पतबाई / कडिया / रमसगरा	150
						योग-	**150**
11	**M-A-34/2024**			**सुकृत**	**02–खोराडीह**	खोरिया / वनसत्ती / लतरिहवा	150
						योग-	**150**
12	**M-A-35/2024**			**सुकृत**	**03–मधुपुर**	तालर / चन्दनपुर	100
						गुलरहवा / जरलहवा	100
						नागनाथ हरैया / खानेआजम	100
						योग-	**300**
					सेक्सन का योग 03	**कुलयोग–**	**600**
13	**M-A-38/2024**			**पटेहरा**	**03–अतरैला**	सिरसी	200
						पटेहरा	150
						योग-	**350**
				सेक्सन का योग 01		**कुलयोग–**	**350**
14	**M-A-40/2024**			**ड्रमण्डगंज**	**02–बंजारी**	मधवा	100
						टीपा	100
						नागचुआ	100
						पवारी 1	100
						सिकटा	100
						गवई	100
						योग-	**600**
15	**M-A-41/2024**			**ड्रमण्डगंज**	**03–भैसोड**	भैसोड 1	100
						भैसोड 2	100
						योग-	**200**
16	**M-A-42/2024**			**ड्रमण्डगंज**	**04–ड्रमण्डगंज**	महुगढी	100

						चन्द्रगढ	100
						मैसोडजेर	150
						ड्रमण्डगंज	150
						योग-	500
17	M-A-43/2024			ड्रमण्डगंज	05–बबुरा	खोदाईपुर	100
						सगहा	100
						किरका	100
						पथरहवा	100
						मुर्डैल	100
						मडवा 1	100
						गडबडा	100
						मडवा 2	100
						योग-	800
					सेक्सन का योग 04	योग–	2100
					सेक्सन में कुल 17 इकाई	कुलयोग–	8600

प्रयागराज लौगिंग प्रमाग तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री वर्ष 2024							
क्र0 सं0	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रमाग का नाम	रेन्ज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	तेन्दू पत्ता बिक्री की अनुमानित मात्रा (मा0बो0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P-A 4/24	प्रयागराज	प्रयागराज	कोरांव	बड़ोखर–द्वितीय	भवानीपुर	250
						हण्डिया	175
						नेवरहवा	175
						तलरी	300
						बसहा	350
	योग–						1250
2	P-A 5/24	प्रयागराज	प्रयागराज	शंकरगढ़	शंकरगढ़	अमिलिहाई	100
						रैपटना	100
	योग–						200
	कुल योग–						1450
			प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग–				35250

वर्ष–2024 में हरे तेन्दूपत्ता की द्वितीय अग्रिम बिक्री हेतु बिक्री सूची का प्रेषण

तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य वर्ष–2024 हेतु सेक्शन/इकाई/फडवार संग्रहण लक्ष्य							
क्र0सं0	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड का नाम	तेन्दूपत्ता अग्रिम बिक्री की मात्रा (मा0बो0में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	K-A 3/24	बॉदा	बॉदा	बॉदा	छितैनी	छितैनी	100
						गजपतिपुर	100
						प्रसिद्धपुर	50
						बल्देवपुरवा	100
					इकाई का योग–	4 फड़	**350**
2	K-A 6/24	महोबा	महोबा	महोबा	बघौरा	बघौरा	50
						लडपुरा अ	50
						बछेछर	50
						इन्दौरा	50
					इकाई का योग–	4 फड़	**200**
					सेक्शन का योग–	08 फड	**550**
3	K-A 15/24	चित्रकूट	चित्रकूट	कर्वी	रसिन	गोड़ा	150
						रसिन	150
						छिवलहा	200
					इकाई का योग–	3 फड़	**500**
4	K-A 16/24	चित्रकूट	चित्रकूट	कर्वी	दुगवां	ढ़ोलबजा	200
						मुकुन्दपुर	50
						दुगवां	250
						बरहाई	150
						महादेवन	300
						खरैहा	100
						हरिहरपुर	100
						बन्दरी	50
						रामपुर	100
					इकाई का योग–	9 फड़	**1300**

					सेक्शन का योग–	**12 फड़**	**1800**
5	K-A 27/24	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	, भौरी	घरधना	400
						वंश रूप का पुरवा	400
						रमजूपुर	200
					इकाई का योग–	**3 फड़**	**1000**
6	K-A 28/24	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	बगरेही	बगरेही	200
						गजटा	400
						ठीका / चरदहा	100
						चर	100
						अरवारा अ	100
						लहरी / मदना	100
					इकाई का योग–	**6 फड़**	**1000**
7	K-A 33/24	चित्रकूट	चित्रकूट	रैपुरा	, इटवा	महुलिया	200
						मोतीलाल पुरवा 2	100
						शिवबिहारी का पुरवा	150
						मोतीलाल का पुरवा 1	200
						हथराजी बैरिहा	200
						केशव का पुरवा	200
						मझपुरवा	100
						भगडा	100
						चमरूवापुरवा	100
						करौंदिहा	100
						माता प्रसाद पुरवा	100
						निविहाई	100
						इटवा	150
						घुनुवां	200
					इकाई का योग–	**14 फड़**	**2000**
					सेक्शन का योग–	**23 फड़**	**4000**
8	K-A 34/24	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	परदवॉ	बरियारी कला	200

						लूसनपुरवा	300
						बराह कोटरा	100
						कनभय	100
						घुरैहटा	100
						गडरियनपुरवा	200
					इकाई का योग–	**6 फड़**	**1000**
9	K-A 35/24	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	गढवा	गढ़वा	500
						गजरी	300
						कोटराखामा	250
						चदई	150
						औरवा	100
					इकाई का योग–	**5 फड़**	**1300**
10	K-A 37/24	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	मनका छितैनी	मनका	100
						छितैनी	100
						कोटवा	100
						गुइयाकला	100
					इकाई का योग–	**4 फड़**	**400**
11	K-A 39/24	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	बबुरी	छिवलहा	300
						बबुरी प्रथम	150
						बबुरी द्वितीय	250
						तिलिहा	200
						खपटिहा 1	150
						खपटिहा 2	150
						कुल्लूबांध	100
					इकाई का योग–	**7 फड़**	**1300**
12	K-A 41/24	चित्रकूट	चित्रकूट	बरगढ	, खण्डेहा	अर्जुनपुर	200
						तुर्री	200
						मोहनपुर	200
						किटहना	100
						खण्डेहा	150
						हरदिहा	150
					इकाई का योग–	**6 फड़**	**1000**
					–	**42 फड़**	**5000**
					कुलयोग–	**145 फड़**	**11350**

झांसी लौगिंग प्रभाग

तेन्दू पत्ता सीजन वर्ष 2024 (ते0प0 अग्रिम बिकी) हेतु फड़ सूची का विवरण

क्र0 सं0	लाट संख्या/वर्ष	जनपद का नाम	वन प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	इकाई का नाम	फड़ का नाम	ते0प0 बिकी की अनुमानित मात्रा (मा0बो0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L-A-01/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	बार	बार	बार	50
						बम्हौरी खड़ैत	150
				माताटीला		बुड़ेरा	50
				जखौरा		जखौरा	50
				ललितपुर		गैदोरा	150
						दैलवारा	100
						बिरौरा	50
						योग	**600**
2	L-A-02/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	जाखलौन	जाखलौन अ	400
						जाखलौन ब	150
						गनेशपुरा अ	250
						गनेशपुरा ब	100
						बन्दरगुणा	100
						योग	**1000**
3	L-A-03/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	सैपुरा	सैपुरा	100
						रमपुरा	150
						जमुनियां	350
						योग	**600**
4	L-A-04/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	बंट	सगोरिया	200
						बंट	400
						योग	**600**
5	L-A-05/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	दूधई	दूधई	250
						डुगरिया	150
						बम्हौरीबंशा	250
						योग	**650**

6	L-A-06/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	ललितपुर	पाली	पाली अ	200
						पाली ब	150
						रिगरवा	50
						पिपरियाजागीर	300
						योग	**700**
7	L-A-07/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	गौना	बालाबेहट	बालाबेहट	200
						मुडारी	75
						बांसपुर	200
						सेपुराखालसा	75
						चौतराघाट	250
						योग	**800**
8	L-A-13/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	गौना	दौलतपुर	दौलतपुर	100
						डोंगरा खुर्द अ	400
						डोंगरा खुर्द ब	150
						दिगवार	250
						योग	**900**
9	L-A-19/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	सौंरई	सौंरई अ	250
						सौंरई ब	100
						जलंधर	450
						भौंती अ	400
						भौंती ब	150
						खैरपुरा	50
						बिरौदा	200
						योग	**1600**
10	L-A-21/2024-25	ललितपुर	ललितपुर	मड़ावरा	नीमखेड़ा	नीमखेड़ा	200
						गोरा खुर्द	100
						पहाड़ीकलां	200
						योग	**500**
						कुल योग	7950
			लखनऊ क्षेत्र का कुल योग				**19300**
			प्रयागराज क्षेत्र का कुल योग				35250
			प्रयागराज एवं लखनऊ क्षेत्र का कुल योग--				**54550**

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।

पत्रांक – 2759/तें0प0/**अग्रिम बिक्री** / दिनांक– 15.03.2024

सेवा में,

मे0 एडोर,
एडवरटाइजिंग प्रा0 लि0,
रामानन्द नगर, अल्लापुर–प्रयागराज।

विषय– **तेन्दू पत्ता बिक्री सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन।**

महोदय,

कृपया निम्नलिखित सूचना को निम्न लिखित समाचार पत्रों में दिनांक 16.03.**2024** को कम से कम स्थान में (Size 6cm*7cm=42 Sq Cm में) केवल एक बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापन बिल सरकारी विभागों हेतु निर्धारित न्यूनतम दरों पर तैयार कर प्रकाशित सामग्री की प्रति सहित दो प्रतियों में इस कार्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें।–

1. दैनिक जागरण, प्रयागराज, वाराणसी एवं झाँसी संस्करण।
2. हिन्दुस्तान, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी एवं लखनऊ संस्करण।
3. दैनिक भाष्कर, रायपुर एवं जबलपुर।
4. अमर उजाला, बरेली एवं मुरादाबाद।
5. दैनिक आज, पटना एवं राँची।
6. आजकल, कोलकाता।
7. टाईम्स आफ इंडिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, पटना, राँची एवं कोलकाता संस्करण।
8. दि हिन्दू दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद।

उत्तर प्रदेश वन निगम, संगम प्लेस, चतुर्थ तल,
सिविल लाईन्स, प्रयागराज
दूरभाष – +91532–2427536, ई–मेल–rmall@upfc.in
वर्ष 2024 में हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री हेतु
ई–निविदा सूचना का सारांश

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 सीजन में हरे तेन्दूपत्ता लाटों की अग्रिम बिक्री किये जाने हेतु षष्ठम ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। आनलाईन षष्ठम ई–निविदा प्रारम्भ करने की तिथि 20.03.2024 को समय 11.00 AM से प्रारम्भ होकर आनलाईन षष्ठम ई–निविदा प्रस्तुत किये जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 22.03.2024 को 3.30 PM बजे तक केवल उ0प्र0 वन निगम की वेबसाइट **www.upforestcorporation.co.in** एवं ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल **http://upfctendupatta.in** में आनलाईन ई–निविदा दी जा सकती है। जो अंतिम तिथि को सायंकाल 4.00 बजे खोली जायेगी।

ई–निविदा हेतु वर्ष 2024 के लिये तेन्दूपत्ता के विनिर्माता/व्यापारी को उ0प्र0 वन निगम के विक्रय प्रभाग, दुद्धी, वाराणसी एवं झॉसी कार्यालय में अथवा ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण कराना आवश्यक है। समस्त इच्छुक निविदाकारों को ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल **www.upforestcorporation.co.in** एवं ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल **http://upfctendupatta.in** पर दिये गये प्रकिया के अनुसार ई–निविदा में भाग लेने हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है।

निविदा हेतु निविदा सूचना, लाट सूची तथा अन्य परिशिष्टों सहित दिनांक 19.03.2024 को केवल उत्तर प्रदेश वन निगम, की वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रयागराज

भवदीय,

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

पत्रांक–2759 /ते0प0/अग्रिम बिक्री/दिनांक– 15/3/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्रांक ते0प0–9248 दिनांक–12.02.2024 के कम में।
2. अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, प्रयागराज, मीरजापुर, कानपुर, बुन्देलखण्ड झाँसी व बरेली।
4. महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, विपणन/उत्पादन/पूर्वी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ/प्रयागराज।
6. वन संरक्षक, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झाँसी एवं चित्रकूट।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. जिलाधिकारी/पुलिस कमिश्नरेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चित्रकूट, झाँसी, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, जौनपुर, रायबरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं ज्योतिबा फुले नगर।
10. प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, मीरजापुर, ओबरा, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव, भदोही, काशी वन्य जीव रामनगर–वाराणसी, वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झाँसी, ललितपुर व उरई (जालौन), रायबरेली, अमेठी।
11. समस्त प्रभागीय लौगिंग/विक्रय प्रबन्धक, लौगिंग अधिकारी/विक्रय अधिकारी, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज एवं झाँसी क्षेत्र।
12. प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, नजीवाबाद (सहारनपुर)।
13. प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर), उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
14. तेन्दूपत्ता केता गण को डाक से।
15. कार्यालय सूचना पट।
16. प्रभारी लेखाधिकारी, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश वन निगम, प्रयागराज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुजॉय बैनर्जी)
महाप्रबन्धक/पदेन क्षेत्रीय प्रबन्धक

उत्तर प्रदेश वन निगम

हरे तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री नियम एवं शर्ते

1. उत्तर प्रदेश शासन के वन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–1807/14–2–29/83, दिनांक 07 अप्रैल 1983 द्वारा उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 (वर्ष 1972 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–19) की धारा–04 की उपधारा (1) सहपठित उत्तर प्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1972 के नियम 3 (7) के अधीन उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ को ऐसे समस्त जिलों में जहाँ पर उक्त अधिनियम प्रवृत हुआ हो, तेन्दूपत्ते का कय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार का "अभिकर्ता" नियुक्त किया गया है।

2. उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा तेन्दूपत्ते की अग्रिम बिक्री हरी अवस्था में ही क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों, पंजीकृत फर्मो, बीडी निर्माताओं से अग्रिम ई–निविदायें/प्रत्येक वर्ष माह दिसम्बर से मार्च तक आंमत्रित की जायेगी।

3. अग्रिम ई–निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की अधिकारिक वेबसाईट एवं ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल पर प्रकाशित की जायेंगी, जो बिक्री शर्तो का भाग होंगी। अग्रिम ई–निविदा सूचना में निविदा की तिथि, निविदा डालने तथा खोलने का समय अंकित होगा। अग्रिम ई–निविदा मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। किसी भी लौगिंग प्रभाग की किसी भी इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये निविदायें अग्रिम ई–निविदा पोर्टल में निर्धारित तिथि तक दी जा सकती है। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त अग्रिम ई–निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4. तेन्दूपत्ता की अग्रिम बिक्री इकाईवार की जायेगी तथा प्रत्येक इकाई की अनुमानित उत्पादन की मात्रा निविदा सूचना के साथ संलग्न विकय सूची **(संलग्नक–1)** में दी जायेगी। विकय सूची एवं निविदा सूचना उत्तर प्रदेश वन निगम की वेबसाईट www.upforestcorporation.co.in एवं ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल https://upfctendupatta.in/ पर भी उपलब्ध होगी।

5. इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा का तात्पर्य तेन्दूपत्ते की संग्रहण केन्द्रों (फड़ो) पर एकत्र की जाने वाली 'हरी पत्ती की मात्रा' से है। इच्छुक निविदादाता जिन इकाईयों के लिये अग्रिम ई–निविदा प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन इकाईयों का स्वयं निरीक्षण कर लें तथा तेन्दूपत्ते की गुणवत्ता के बारे में अपनी संतुष्टि कर लें। निविदादाता के साथ तेन्दूपता की अनुमानित उत्पादन मात्रा के लिये अनुबन्ध किया जायेगा। किसी इकाई में अग्रिम ई–निविदा सूचना में अनुमानित मात्रा के अनुसार ही विकय मूल्य उ0प्र0 वन निगम को देय है। यदि अनुमानित मात्रा से अधिक तेन्दू पत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को अधिक मात्रा का भी भुगतान इकाई के लिये स्वीकृत दर पर अतिरिक्त राशि के रूप में भुगतान कर क्रय करना होगा। यदि अनुमानित मात्रा से कम तेन्दू पत्ता संग्रहित होता है, तब क्रेता को इकाई के लिए स्वीकृत दर पर वास्तविक उत्पादन के अनुरूप भुगतान करना होगा। अग्रिम ई–निविदा सूचना में दर्शित अनुमानित उत्पादन मात्रा में किसी गणितीय या लिपिकीय या टंकण त्रुटि सुधारने का अधिकार उत्तर प्रदेश वन निगम के पास सुरक्षित होगा तथा क्रेता को संशोधित मात्रा एवं इसके आधार पर की गई परिगणना को स्वीकार करना बाध्यकारी होगा।

6. अग्रिम ई–निविदा में प्रति मानक बोरा की दर से दी जायेगी। मानक बोरा से तात्पर्य तेन्दूपत्ता की एक हजार हरी गड्डियों तथा एक गड्डी में पचास तेन्दूपत्ती से है। प्रत्येक गड्डी में कम से कम 50 पत्ती बीड़ी बनाने योग्य होना अनिवार्य है।

7. **(a)** समस्त तेन्दूपत्ता क्रेताओं को ई–निविदा में भाग लेने हेतु वन निगम के ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु अपना नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, पैन कार्ड संख्या, जी0एस0टी0 संख्या, आधार संख्या, दूरभाष नम्बर एवं ई–मेल पता अनिवार्य रूप से कराना होगा तथा तेन्दूपत्ता ई–टेण्डर पोर्टल पर पंजीकरण राशि रू0 30,000/–(रिफंडेबुल) की धनराशि एच0डी0एफ0सी0 बैंक के गेटवे के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

(b) एक ही लाट के लिये लाटरी पद्वती:– यदि एक ही लाट पर दो या उससे अधिक ई–निविदादाताओं की दरें उच्चतम एवं बराबर प्राप्त होती हैं, तो ऐसी दशा में उस लाट का निस्तारण लाटरी पद्धति के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा, जिसमें महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

8. बंधक धनराशि

किसी भी इकाई की अनुमानित उत्पादन मात्रा के अनुसार निविदादाता द्वारा जमा की गयी बंधक धनराशि **(EMD)** के 10 गुना तक की धनराशि "क्रय क्षमता" **(Purchasing Capacity)** होगी तथा केता द्वारा क्रय क्षमता की धनराशि के 10 गुना तक की धनराशि पर "बोली की क्षमता" **(Bidding Capacity)** होगी। केता को बन्धक धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाते में आन–लाईन गेटवे के माध्यम से जमा करानी होगी। बिना बंधक धनराशि के अग्रिम ई–निविदा दर स्वीकार नहीं होगी। अग्रिम ई–निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने पर असफल निविदादाताओं की बंधक धनराशि उनके के0वाई0सी0 खाते में वापस कर दी जायेगी तथा सफल निविदादाता की बंधक धनराशि का समायोजन जमानत में किया जायेगा।

9. निविदा स्वीकृत की सूचना एवं अनुबन्ध की कार्यवाही

a- उच्चतम बोली के सफल निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति सक्षम स्तर से ऑनलाइन ई–तेन्दूपत्ता पोर्टल **https://upfctendupatta.in/** वन निगम की अधिकारिक वेबसाईट **www.upforestcorporation.co.in** एवं ई–मेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित की जायेगी।

b- (**i**) निविदा स्वीकृत की सूचना के प्रेषण की तिथि से 30 दिन के अन्दर सफल केताओं को स्वीकृत की गई तेन्दूपत्ता की मात्रा हेतु कुल विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत जमानत धनराशि/बैंक गारण्टी जमा करना होगा, जिसमें से 15 प्रतिशत जमानत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में आन–लाईन गेटवे के माध्यम से तथा 10 प्रतिशत जमानत धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के रूप में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में निरूपित कर जमा करना होगा। बन्धक धनराशि का समायोजन 15 प्रतिशत की जमानत धनराशि में किया जायेगा।

(**ii**) यदि केता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारन्टी के स्थान पर अपने स्वयं अथवा फर्म के खाते का प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के नाम का दिनॉक 30 अप्रैल का पोस्ट डेटेड चेक (Payable at lucknow/Prayagraj) जोकि उ0प्र0 राज्य में स्थिति किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा का हो, जमा कर निष्पादित कर सकता है तथा बैंक गारण्टी दिनॉक 30.04.2024 तक केता द्वारा बैंक गारण्टी जमा न करने पर चेक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के खाते में जमा कर लिया जायेगा। यदि बैंक द्वारा चेक अनादरित कर दिया जाता है तो उस दशा में केता द्वारा दिये गये अनुबन्ध का उल्लंघन होगा। ऐसी दशा में उ0प्र0 वन निगम नियमानुसार अग्रेतर/विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) उक्त के अतिरिक्त यदि कोई केता चाहे तो बैंक एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के स्थान पर प्रश्नगत धनराशि का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के बैंक खाते में आनलाईन गेटवे के माध्यम से जमा कर सकता है।

c- अनुबन्ध का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में केता का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण पर बन्धक धनराशि अधिगृहीत कर ली जायेगी तथा केता को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही एक निश्चित अवधि के लिये की जा सकेगी। ऐसी निरस्त लाटों की पुनर्बिक्री पर वन निगम को हुई हानि केता को वहन करनी होगी। यदि ऐसी हानि की रकम

बन्धक राशि से अधिक होने की स्थिति में क्रेता के द्वारा इस सम्बन्ध में मांग सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो ऐसी हानि की राशि उससे भू–राजस्व की भॉति वसूली योग्य होगी।

d- **फड़मुंशी का कमीशन** : फड़मुंशी द्वारा संग्रहण की गयी गड्डियों का अभिलेखन संग्रहण पुस्तिका में किया जायेगा। क्रेता द्वारा क्रय की गयी इकाईयों की फड़ो से सम्बन्धित नियुक्त फड़मुंशी के कमीशन की धनराशि अनुमानित उत्पादन के आधार पर वन निगम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जायेगा। संग्रहण पूर्ण हो जाने के पश्चात् वास्तविक संग्रहण के अनुसार फड़मुंशी के कमीशन की शुद्ध देय धनराशि का समायोजन किया जायेगा।

e- **(i)** लाट हस्तांतरणः– यदि कोई क्रेता अपने लाट का हस्तान्तरण किसी दूसरे क्रेता के नाम पर करना चाहता है तो ऐसा हस्तान्तरण दूसरे क्रेता द्वारा अनुमानित विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत अतरिक्त जमानत तथा हस्तान्तरण शुल्क के रूप में रूपया दस हजार जमा करने के उपरान्त संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उ0प्र0 वन निगम द्वारा लिखित आदेश से किया जा सकता है। उक्त धनराशि पर जी0एस0टी0 भी नियमानुसार देय होगा।

(ii) हस्तांतरणकर्ता क्रेता लाट के सम्बन्ध में अपने दायित्वों से तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक हस्तांरण ग्राही क्रेता सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के कार्यालय में लॉट का अनुबन्ध निष्पादित नहीं कर देता है।

तेन्दूपत्ते का संग्रहण, प्रसंस्करण, हस्तान्तरण, परिवहन एवं भण्डारण की प्रकिया

10. इकाईयों के अर्न्तगत निर्धारित संग्रहण केन्द्रों (फड़ों) पर फड़मुंशी एवं इकाई अधिकारियों के माध्यम से संग्रहण का कार्य सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा कराया जायेगा। इस हेतु पर्यवेक्षणीय दायित्वों एवं संग्रहण के समुचित क्रियान्वयन हेतु सेक्शन अधिकारी/इकाई अधिकारी की तैनाती प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा की जायेगी।

11. संग्रहण सीजन में क्रेता को सम्बन्धित इकाई की फड़ों पर स्वयं या अपना प्रतिनिधि रखना होगा जो फड़ों पर आ रही तेन्दूपत्ता की हरी गड्डियों की निरीक्षण कर फड़मुंशी से संग्रहण अभिलेखों के अनुसार अगले दिन प्राप्ति स्वीकार करेगा।

12. क्रेता या उसके प्रतिनिधि को संग्रहण पुस्तिका में दर्ज विवरण के अनुसार फड़मुंशी द्वारा क्रय की गई तेन्दूपत्ता मात्रा की प्राप्ति लेनी होगी एवं तेन्दूपत्ते के हस्तांतरण के तुरन्त बाद उसकी प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित फड़ मुंशी/इकाई अधिकारी को देनी होगी। फड़ पर आ रहे तेन्दूपत्ता गड्डियों में पत्ते की संख्या या गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई असहमति या विवाद होने पर उस पत्ते को अलग रखवा दिया जायेगा तथा उच्च अधिकारियों को सूचित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, द्वारा अधिकृत अधिकारी के 48 घण्टे के अन्दर निरीक्षण के उपरान्त उसका निर्णय अन्तिम व क्रेता को मान्य होगा।

13. तेन्दूपत्ता की फड़ पर सुखाई के दौरान उल्टाई, पल्टाई, उपचार एवं अन्य रख रखाव एवं अनुरक्षण कार्य स्वयं क्रेता को करवाने होगें तथा उसका व्यय स्वयं वहन करना होगा।

14. तेन्दूपत्ता की कस्ती एवं बोरा भराई के लिये उपयुक्त बोरा, सुतली, तिरपाल आदि की व्यवस्था सम्बन्धित क्रेता द्वारा स्वयं की जायेगी। संग्रहण से पूर्व बोरों पर इकाई का नाम, संग्रहण वर्ष, फड़ का नाम, क्रेता का विवरण, बोरा क्रमांक इत्यादि विवरण उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्धारित स्टैन्सिल प्रारूप के अनुसार बोरों पर छपान कराना अनिवार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य बोरों का प्रयोग वर्जित होगा।

15. तेन्दूपत्ता गड्डियों की बोरों में कस्ती के उपरान्त क्रेता द्वारा अपने व्यय पर वन निगम द्वारा पूर्व से निर्दिष्ट तेन्दूपत्ता गोदाम में ढुलान एवं भण्डारण कराना होगा।

16. फड़ से गोदाम तक ढुलान के लिये क्रेता द्वारा केवल उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्धारित रवन्ना प्रपत्र का प्रयोग किया जायेगा। संग्रहण/ढुलान एवं गोदाम में भण्डारण के दौरान तेन्दूपत्ता की सुरक्षा एवं रख–रखाव का पूर्ण दायित्व क्रेता का होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण/ढुलान एवं भण्डारण के दौरान हुई किसी भी प्रकार की क्षति के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

17. गोदाम में तेन्दूपत्ते का भण्डारण क्रेता की अभिरक्षा, देख–रेख, पर्यवेक्षण तथा जोखिम पर, लेकिन सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के नियन्त्रण में रहेगा। क्रेता आवश्यकतानुसार पत्ती के अनुरक्षण/उपचार की कार्यवाही गोदाम अधिकारी की उपस्थिति में कराते रहेगें, जिसका व्यय भार क्रेता को ही वहन करना होगा।

18. तेन्दू पत्ता भण्डारण हेतु उ0प्र0 वन निगम द्वारा निर्दिष्ट गोदामों का किराया सम्बन्धित क्रेता/क्रेताओं द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। प्रत्येक गोदाम पर क्रेता व वन निगम के सयुंक्त ताला लगाया जायेगा।

19. गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ता की सम्पूर्ण मात्रा एवं गोदाम का बीमा का व्यय सम्बन्धित क्रेताओं द्वारा वहन करना होगा। गोदाम में भण्डारित तेन्दूपत्ते एवं गोदाम की हुई किसी भी क्षति/जोखिम के लिये उ0प्र0 वन निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

तेन्दूपत्ते के क्रय मूल्य का भुगतान एवं निकासी

20. क्रेता को तेन्दूपत्ता की निकासी नियमानुसार गोदाम से ही दी जायेगी। निकासी लेने से पूर्व क्रेता को सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन देकर निकासी की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

21. क्रेता को क्रय मूल्य का भुगतान समस्त देय करों सहित धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम के एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाते में आन–लाईन गेटवे के माध्यम से निम्नानुसार चार बराबर किश्तों में जमा करना होगाः–

अ– प्रथम किश्त	–	5 अक्टूबर
ब– द्वितीय किश्त (प्रथम किश्त के 45वें दिन)	–	20 नवम्बर
स– तृतीय किश्त (द्वितीय किश्त के 45वें दिन)	–	04 जनवरी
द– चतुर्थ किश्त (तृतीय किश्त के 45वें दिन)	–	19 फरवरी

22. यदि कोई क्रेता प्रथम किश्त की अवधि में ही उसके द्वारा क्रय की गई इकाई के तेन्दूपत्ता के लिये सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करता है तो उसे क्रय मूल्य की राशि पर एक प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा ऐसी स्थिति में वह बोरों को छॉटकर निकासी ले सकता है। किश्तों में भुगतान की स्थिति में यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। क्रेता द्वारा अन्य किसी किश्त की देय तिथि से पूर्व लाट का सम्पूर्ण क्रय मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की राशि का भुगतान जमा कर पत्ते की निकासी ली जा सकती है।

23. निर्धारित समय सीमा में देय मूल्य, कर एवं शुल्क न जमा करने पर क्रेता को देय विक्रय मूल्य पर 0.03 पैसा प्रति सैकड़ा प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। विलम्ब शुल्क सहित देय धनराशि जमा करने के लिये 30 दिन से अधिकतम 60 दिन निर्धारित होंगे। इसके उपरान्त बिक्री स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा क्रेता की बन्धक धनराशि, अन्य जमा धनराशि एवं अवशेष तेन्दूपत्ता की मात्रा, वन निगम द्वारा जब्त कर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक(तेन्दूपत्ता), उ0प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

24. प्रत्येक किश्त का कर सहित समस्त भुगतान करने की दशा में केता उतने बोरो की निकासी ली जा सकती है।

25. किसी भी दशा में केता को गोदाम से केडिट निकासी नहीं दी जायेगी। गोदाम से निकासी लेने के लिये केता को सम्बन्धित प्रभागीय विकय प्रबन्धक की लिखित अनुमति एवं निश्चित समय अवधि के लिये तेन्दू पत्ता विनियमन 1972 के अनुसार वन विभाग/वन निगम से निर्गत परिवहन अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना होगा। इस निकासी अवधि की सीमा में ही गोदाम अधिकारी द्वारा तेन्दूपत्ता की निकासी सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य दी जायेगी।

26. केता द्वारा यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित समय–सीमा (आगामी 31 मार्च) तक लाट/इकाई का सम्पूर्ण विकय मूल्य एवं उस पर देय समस्त करों की धनराशि जमा करने के पश्चात तेन्दू पत्ते की निकासी नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उस लाट/इकाई के तेन्दूपत्ता पर वन निगम का कोई अधिकार नही होगा। किसी भी प्रकार की देयता अवशेष होने की स्थिति में केता के लिखित अनुरोध पर 30 दिनों की अवधि विस्तार हेतु सम्बन्धित प्रभागीय विकय प्रबन्धक की संस्तुतियों के साथ महाप्रबन्धक (तेन्दू पत्ता) को आवेदन–पत्र दे सकता है। केता के लिखित आवेदन–पत्र पर महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता) अधिकतम 30 अप्रैल तक अवधि विस्तार दे सकते हैं, जिसके लिए 02 रू0 प्रति वास्तविक बोरा एवं जी0एस0टी0 शुल्क देय होगा। केता द्वारा प्राप्त की गई निकासी की समय वृद्धि में यदि गोदाम में कोई दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो उसका उत्तरदायित्व वन निगम का नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद किसी भी दशा में अवधि विस्तार देय नहीं होगा एवं लाट के विरूद्ध जमा समस्त धनराशि जब्त कर कथित लाट/इकाई की पत्ती की बिकी करने के लिये उत्तर प्रदेश वन निगम स्वतंत्र होगा। विशेष परिस्थितियों में महाप्रबन्धक(तेन्दूपत्ता), उ0 प्र0 वन निगम को अनुबन्ध की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार होगा।

समय से किश्त न जमा करने पर विलम्ब शुल्क, बिकी का निरस्तीकरण तथा केता का नाम काली सूची में अंकित किया जाना

27. (अ) शर्त सं0 21 के अनुसार यदि केता किसी किश्त की देय तिथि तक किश्त जमा नही करता है या निर्धारित विधि के अनुसार बढाई गई समय सीमा में विलम्ब शुल्क सहित किस्त जमा नहीं करता है तो लाट की बिकी स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा केता की जमा जमानत जब्त कर ली जायेगी एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा उसका नाम काली सूची में अंकित कर दिया जायेगा। वन निगम ऐसे लाटों को पुनः बेचने के लिये स्वतंत्र होगा। केता को उसकी लाट की बिकी निरस्त होने की कोई सूचना देने का दायित्व वन निगम का नही होगा।

(ब) शर्त 27(अ) के अनुसार यदि किसी लाट की बिकी निरस्त कर उसकी पुनः बिकी की जाती है तो बिकी के उपरान्त कम मूल्य प्राप्त होने पर अन्तर की धनराशि तथा उस पर देय जी0एस0टी0 की धनराशि की वसूली हेतु प्रथम केता की जब्त की गयी जमानत की धनराशि को समायोजित करने के पश्चात् अवशेष धनराशि का समायोजन उक्त केता की निगम में जमा वापसी योग्य अन्य कोई धनराशि यदि हो, से की जायेगी, परन्तु पुनर्बिकी के उपरान्त कम मूल्य से अधिक धनराशि प्राप्त होती है तो केता का इस अधिक धनराशि पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।

(स) यदि शर्त संख्या– 27(ब) में उल्लिखित प्रकिया के उपरान्त भी निगम को कम प्राप्त हो रहे मूल्य की सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नही होती है तो, ऐसी आर्थिक हानि की वसूली एवं उस पर देय जी0एस0टी0 सहित केता से भू–राजस्व के बकाये के रूप में की जा सकेगी। हानि की राशि की गणना निम्नानुसार की जायेगीः–

हानि की धनराशि = सम्बन्धित निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित सम्भावित प्राप्तियॉ + पुनर्बिक्री तक गोदाम, पर्यवेक्षण इत्यादि का व्यय – आगामी निविदा/नीलाम से समस्त करों सहित प्राप्तियॉ – अधिहारित की गयी बन्धक/जमानत/प्रतिपूर्ति निक्षेप से प्राप्त राशि

(सम्बन्धित निविदा/नीलाम से यदि केता चाहे तो कय मूल्य का 15 प्रतिशत की राशि बन्धक की धनराशि में सम्मिलित करते हुए जमा कर वसूली काली सूची में दर्ज होने सहित प्रकरण से सम्बन्धित सभी पश्चातवर्ती दायित्वों से मुक्त हो सकता है।)

कर भार:–

28. (अ) भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार तेन्दूपत्ता की बिकी पर नियमानुसार केता से आयकर की वसूली की जायेगी।

(ब) शर्त सं0 28 (अ) में वर्णित आयकर के अलावा तेन्दू पत्ता की बिकी पर अन्य किसी प्रकार का कर यदि शासन द्वारा लगाया जाता है तो उसकी भी वसूली संबंधित केता से की जायेगी।

(स) वर्तमान में प्रचलित जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) की निर्धारित दरों पर वसूली केता से की जायेगी।

29. यह स्पष्ट किया जाता है कि उ0 प्र0 में तेन्दू पत्ता का व्यापार, उत्तर प्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1972 (यथा संशोधित) द्वारा नियंत्रित होता है, इसके अतिरिक्त तेन्दू पत्ता एक वनोपज होने के कारण भारतीय वन अधिनियम 1927 भी इस पर लागू होता है। उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निकासी तथा तेन्दू पत्ता के परिवहन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने एवं सुसंगत नियमों का पालन करने का दायित्व केता का होगा। साथ ही वन निगम के अधिकारियों को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय संग्रहण से लेकर निस्तारण तक तेन्दूपत्ता जांच कर नियमों एवं प्राविधानों के अर्न्तगत समुचित कार्यवाही कर सकते हैं। इस पर केता की आपत्ति मान्य नहीं होगी। जांच कार्यवाही में अनियमितता पाये जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने का वन निगम का पूर्ण अधिकार होगा।

30. किसी भी समय लाट का अनुबन्ध होने के बाद भी, यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित केता/व्यक्ति सकिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

31. राज्य बार कौसिंल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी की अनुमति नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता ऐसी ठेकीदारी में प्रतिभाग करते है तो उनके आवेदन सीधे निरस्त कर दिये जायेंगे। यदि अनुबन्ध होने के बाद भी यह तथ्य संज्ञान में आता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

32. किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम लखनऊ के पास सुरक्षित होगा। सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

33. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिकी से सम्बन्धित न्यायिक विवाद केवल उसी न्यायालय में दायर किया जा सकता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उक्त बिकी से सम्बन्धित प्रभागीय विकय प्रबन्धक का कार्यालय आता हो।

34. तेन्दूपत्ता अग्रिम बिकी से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में महाप्रबन्धक (तेन्दूपत्ता), उत्तर प्रदेश वन निगम लखनऊ "आर्बीट्रेटर" होंगे, जिसका निर्णय उभय पक्षों को मान्य होगा।

35. उपरोक्त नियमों एवं शर्तो में समय–समय पर यदि किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिये प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम अधिकृत होंगे।

उ०प्र० वन निगम